डीजी परिपत्र संख्या-09/2020

एच0सी0 अवस्थी
आई0पी0एस0

पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश
पुलिस मुख्यालय, लखनऊ।
दिनांक : लखनऊः फरवरी 18, 2020

प्रिय महोदय,

आपका ध्यान मैं पूर्व में कतिपय जनपदों के न्यायालय परिसरों/न्यायालयों में घटित घटनाओं की ओर आकृष्ट करना चाहूँगा, जिसमें वर्ष 2007 में जनपद लखनऊ, अयोध्या एवं वाराणसी के न्यायालय परिसर में सीरियल बम ब्लास्ट की घटना, वर्ष 2015 में कानुपर न्यायालय परिसर में सुतली बम विस्फोट की घटना, वर्ष 2017 में सिविल कोर्ट परिसर लखनऊ के अन्दर विस्फोट की घटना तथा वर्ष 2019 में जनपद बिजनौर के न्यायालय में दिन दहाड़े जज के सामने ताबडतोड़ फायरिंग कर आरोपी की हत्या की घटना घटित हुई है। हाल में ही जनपद लखनऊ में न्यायालय परिसर की सुरक्षा व्यवस्था में सेंध लगाकर कुछ तत्वों द्वारा सुतली बम का प्रयोग करके घटना को अंजाम दिया जाना प्रकाश में आया है । इस प्रकार की घटनाओं से एक ओर जनमानस में असुरक्षा एवं भय की भावना जाग्रत होती है वहीं दूसरी ओर पुलिस की छवि एवं कार्यप्रणाली पर भी प्रश्नचिन्ह् लगता है।

2- ध्यातव्य हो कि पूर्व में इस मुख्यालय स्तर से जनपद में स्थापित न्यायालय परिसरों, न्यायिक अधिकारियों, विचाराधीन बन्दियों को पेश किये जाने के समय, वादकारियों, विवेचनाधिकारियों आदि की सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में कई बार सुस्पष्ट निर्देश दिये गये हैं। इस तरह लगातार घटित हो रही घटना से ऐसा प्रतीत होता है कि आपके द्वारा इस मुख्यालय से निर्गत दिशा-निर्देशों का गम्भीरता से संज्ञान नहीं लिया जा रहा है और न ही अधीनस्थों को संज्ञानित कर अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है। यह स्थिति अत्यन्त ही खेदजनक है।

परिपत्र संख्या-04/2005 दिनांक 7.02.2005
परिपत्र संख्या-50/2007 दिनांक 17.7.2005
परिपत्र संख्या-97/2007 दिनांक 2.12.2007
परिपत्र संख्या-58/2008 दिनांक 30.5.2008
परिपत्र संख्या-83/2008 दिनांक 28.8.2008
परिपत्र संख्या-31/2016 दिनांक 8.6.2016
अर्धशा पत्र संख्या डीजी-आठ-246(न्या0सु0)2019 दिनांक 8.8.2019
अर्धशा पत्र संख्या डीजी-आठ-246(न्या0स0)2019 दिनांक 17.12.2019

3- प्रायः देखा जा रहा है कि कुछ अयोग्य कर्मियो को (यथा-बीमार, मादक पदार्थ का सेवन करने वाले, अपराध एवं अपराधियों से संलिप्त रहने वाले आदि) इस प्रकार की गंभीर ड्यूटी में लगा दिया जाता है एवं जनपदीय न्यायालय परिसरों की सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मियों तथा पर्यवेक्षण अधिकारियों द्वारा अपने कर्तब्यों का निर्वहन कर्मठता के साथ नही किया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप अपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति अवैध शस्त्र/विस्फोटक पदार्थो के साथ न्यायालय परिसर में प्रवेश कर घटनाएँ कारित कर फरार हो जाते हैं, जो पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के कर्तव्यों एवं दायित्वों के प्रति लापरवाही व उनकी विफलता का द्योतक है।

4- इस प्रकार की घटनाओं पर प्रभावी रोकथाम हेतु तत्काल निम्नांकित बिन्दुओं पर कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें:-

- न्यायालय परिसर/न्यायिक अधिकारी के साथ ऐसे पुलिसकर्मी/पी0ए0सी बल की ड्यूटी लगाई जाए जो स्वस्थ एवं सुरक्षा कार्य में प्रशिक्षित हो।
- सादे कपड़ों में भी भिज्ञ एवं प्रशिक्षित अधिकारी और कर्मचारी संदिग्ध व्यक्तियों के आवागमन पर नजर रखने हेतु नियुक्त किये जाये एवं अभिसूचना का संकलन अवश्य किया जाए एवं लाभप्रद सूचनाओं का संज्ञान लेकर समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित किया जाय।
- न्यायालय परिसर की सुरक्षा व्यवस्था हेतु लगाये गये पुलिस/पीएसी बल का समय-समय पर रिहर्सल/प्रशिक्षण अवश्य प्रदान कराया जाय।

पेज..2 पर

- न्यायालय परिसर में प्रवेश द्वार पर सीसीटीवी कैमरा एवं मेटल डिटेक्टर/स्कैनर की समुचित व्यवस्था की जाये जिससे न्यायालय परिसर में आने-जाने वाले प्रत्येक व्यक्तियों पर निरन्तर सतर्क दृष्टि रखी जा सके।
- परिसर के अन्दर लगे सी0सी0टी0वी कैमरे सही दशा में कार्य कर रहे हैं अथवा नहीं इस सम्बन्ध में समय-समय पर डी0वी0आर की चेंकिग एवं मानीटरिंग करायी जाए एवं खराब होने की दशा में उन्हें अविलम्ब ठीक कराया जाय ।
- न्यायालय परिसर के लॉकअप पर निरन्तर सतर्क दृष्टि रखी जाय ।
- कभी-कभी वादकारियों/अधिवक्ताओं के वेश में अवॉछित एवं अनधिकृत व्यक्ति भी न्यायालय परिसर में प्रवेश कर जाते हैं, जिनकी रोक-थाम हेतु परिसर में आने वाले व्यक्तियों की पहचान सुनिश्चित करने के उपरान्त ही प्रवेश दिया जाय।
- किसी भी प्राईवेट वाहन को न्यायालय परिसर के अन्दर बिना चेंकिग के प्रवेश न करने दिया जाए। न्यायालय परिसर के आस-पास खड़े वाहनों की सावधानी से चेकिंग की जाय।
- प्रत्येक राजपत्रित अधिकारी नियमित रूप से न्यायालय परिसर सहित सुरक्षा में लगे सुरक्षाकर्मी एवं सुरक्षा उपकरण का निरीक्षण अवश्य करें। इसके अतिरिक्त समय-समय पर आकस्मिक चेकिंग भी की जाय।
- न्यायालय में गवाही देने हेतु आने वाले वादी एवं गवाहों की समुचित सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।
- स्थानीय पदाधिकारी एवं जिला जज/प्रशासनिक अधिकारी से समय-समय पर समन्वय स्थापित कर अपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों का चिन्हॉकन एवं सतर्क दृष्टि रखने के सम्बन्ध में भी आवश्यक कार्यवाही करायी जाय।

5- कृपया उक्त निर्देशों का गहनता से अध्ययन कर अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को अवगत कराते हुए कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायें । जनपदीय न्यायालय परिसर की सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में जनपद स्तर पर एक कार्ययोजना तैयार कर प्रत्येक माह उसकी समीक्षा की जाय। परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक/पुलिस महानिरीक्षक द्वारा प्रत्येक माह अधीनस्थ जनपदों की सुरक्षा की समीक्षा कर समीक्षात्मक आख्या अपर पुलिस महानिदेशक, जोन को प्रस्तुत करेगें ।

6- मैं यह भी अपेक्षा करता हूँ कि भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी एवं आप पूर्ण मनोयोग से माननीय न्यायालयों की अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था स्थापित करने का हर सम्भव प्रयास करेगें ।

भवदीय,

(एच0सी0 अवस्थी)

1. पुलिस आयुक्त
   लखनऊ/गौतमबुद्धनगर।
2. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/जनपद प्रभारी/रेलवेज्
   उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था उ0प्र0।
2. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक/रेलवेज् उ0प्र0।
3. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।